

संख्या 3270 / 1-10-2008-14(23) / 2004

प्रेषक,

जी० के० टण्डन,
राहत आयुवत एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

मंवा मे०

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ दिनांक 04 जुलाई, 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2008-09 में आपदा राहत कार्यो हेतु धनराशि का आवटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे० गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम मे० मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2818 / 1-10-2005-14(14) / 2005 दिनांक 19.9.2005 द्वारा पी०ए०सी० हेतु 132 अद्द ओ०बी०ए०म० इजन तथा पी०ए०सी० हेतु 41 एवं राजस्व विभाग हेतु 13 नई मोटरबोट क्रय हेतु रु० 4,14,00,000/- तथा शासनादेश संख्या-3080 / 1-10-2005- 14(14) / 2005 दिनांक 25.10.2005 द्वारा राजस्व विभाग हेतु 12 नई मोटरबोट क्रय करने हेतु रु० 48,00,000/- की धनराशि स्वीकृत की गयी। गृह विभाग द्वारा अद्यगत कराया गया है कि उक्त स्वीकृत धनराशि से पूर्व अनुमोदित 88 अद्द मोटरबोट से से मात्र 33 अद्द मोटरबोट की आपूर्ति ही सम्भव है। गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त सहमति “यदि भारत सरकार अनुमति नहीं देगा तो वित्त विभाग की सहमति से गृह विभाग अपने बजट से सामग्री व नियमानुसार क्रय की कार्यदाही करेगा तथा तदनुसार पुलिस विभाग को निर्देशित किया जायेगा।” उक्त के क्रम मे० शेष 33 अद्द मोटरबोट की आपूर्ति हेतु श्री राज्यपाल महोदय रु० 2,07,54,195/- (रुपये दो करोड़ सात लाख बौद्धन हजार एक सौ पन्द्रानन्द मात्र) की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेतर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय” के नामे ढाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि से पूर्व मे० स्वीकृत धनराशि का समायोजन एवं संतुष्टि उपरान्त ही उक्त आवंटित धनराशि मे० से अवशेष धनराशि आहरित की जाय। उक्त धनराशि जिस प्रयोजन के तिए आवंटित की जा रही है, इस हेतु ही धनराशि का

उपयोग किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सामग्री विलम्बतम 03 माह में क्षय कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायगा कि विभिन्न सामग्रियों की जो दरें लगायी जाय उससे कम दर पर तब सामग्री बाजार में उपलब्ध न हो, अर्थात् न्यूनतम दरे रख्नी जाय तथा स्टोर परचेज रूल्स के नियमों उसमें निर्धारित प्रक्रिया तथा सम्बन्धित विभागों से निर्गत तदविषयक शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

5. आपदा राहत निधि से आंबटित धनराशि के व्यय के आकड़ों का पुस्ताकन (बुकिंग) महालेखाकार कार्यालय के सत्यापन प्रमाण पत्र एवं निम्नांकित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित राजस्व अनुमान-10 को दिनांक 20 दिसम्बर, 2008 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय-

(क) व्यय का विवरण -

क्र०स०	उपकरण का नाम	क्षमता	प्रत्येक उपकरण की पहचान संख्या	मूल्य	गाँणी अवधि	जीवन अवधि

(ख) आपदा राहत निधि के पक्ष में अवशेष धनराशि रु०..... बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ पर मुगतान हेतु वापस किया जा रहा है।

दिनांक:

मुहरयुक्त हस्ताक्षर

6. आपदा राहत निधि से जो नये उपकरण क्षय किय जाय उनके पूर्ण विवरण की एक पंजिका पी०ए०सी० मुख्यालय पर रखी जाय, जिसमें आपदा राहत निधि से प्राप्त धनराशि का मद्दार उल्लेख किया जाय।

भवदीय

(जी०के० टण्डन)
राहत आयुदत एवं सचिव

नंख्या : ३२७० (१) / १-१०-२००८-१४(२३) / २००४ तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार लेखा प्रथम/आडिट उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिरीक्षक, पी०ए०सी०, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—५
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग—१०/राजस्व अनुभाग ६/११/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव